न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 92 सन 2019

अनवान :–

1. आमीन पुत्र हासन खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 साहवा बस स्टेण्ड के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. युसुफ पुत्र शरीफ महोम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 साहवा बस स्टेण्ड के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायलान

बनाम

1. समुन 2. हारून 3. मकसुद 4. अयुब 5. मौसीन 6. रूस्तम पि0 ज्यान महोम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 साहबा बस स्टेण्ड के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7.. मकबुल पुत्र सदीक महोम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 साहवा बस स्टेण्ड के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8.. रोशन 9. याकुब 10 मुश्ताक 11 युनुफ पि0 सदीक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 साहवा बस स्टैण्ड सोनडी रोड नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

12. सकीना पत्नी सरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 साहवा बस स्टेण्ड नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

13. सलीम 14 आजम अली पि0 शरीफ मोहम्म्द जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 साहवा बस स्टैण्ड के पास नोहर तहसील नोहर।

15. हलीमा 16 जरीना 17 सुमईया 18 रजिया 19 मोबिना पुत्रीयान शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 साहवा बस स्टेण्ड के पास नोहर तहसील नोहर।

20 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

21. मैनेजर ऑरियन्टल बैक ऑफ कॉमस शाखा नोहर तहसील नोहर।

22. मैनेजर स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा नोहर तहसील नोहर।

23. मैनेजर स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।

गैर सायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायलान
श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता गैरसायल 1–11 ,13 ,14

निर्णय दिनांक :– 16/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 के खसरा न0 70 की 8.4860हैक्‍ भूमि जिसमें सायलान व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें सायल न0 1 अकेला 2.1215हैक , एवं गैरसायल न0 1 अकेला 0.2526हैक , गैरसायल न0 2 ता 6 बहिब 1.7679हैक गैरसायल न0 7 अकेला 0.8080हैक , गैरसायल न0 8 ता 11 बहिब 1.4145हैक , गैरसायल न0 12 अकेली 1/8 हिस्सा , सायल न0 2 व गैरसायल न0 13 ता 14 बहिब 14/24 हिस्सा , गैरसायल न0 15 ता 19 बहिबि 7/24 हिस्सा दर 2.1215हैक के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है तथा वाद भूमि का वर्तमान में खाता मुश्तरका है सायलान ने वर्तमान में अपने हक हिस्सा की भूमि पर गायो/भैसों के लिये चारा काश्त कर रखा है परन्तु गैरसायलान के मन में लालच आ गया तथा हरा चारे की फसल को उखाडनें पर उतारू है एव सायलान के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है इसलिये सायलान वाद भूमि जो मुश्तरका दर्ज है का खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

सायलान ने अपने हक हिस्सा की भूमि को काफी सुधारा है जो ग्रांव के नजदीक आबादी के पास है गैरसायलान वाद भूमि को अकृषि में परिर्वतन करवाये बिना खूर्द बूर्द करना चाहते है और सायलान की भूमि पर कब्जा करना चाहते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवानें की अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 के खसरा न0 70 की 8.4860हैक्ट भूमि की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को पाबन्द किया जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया गैरसायलान संख्या 12 ,15 ता 19 को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा गैरसायल न0 1 ता 11 ,13 ,14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पेश किया की

वादग्रस्त भूमि सयुक्त खाता व सयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है विधि अनुसार सयुक्त खाते की भूमि पर किसी सह काश्तकार के विरूद्व निधेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

वादग्रस्त भूमि कस्वा नोहर के नजदीक है जिसमें कस्बा का गन्दा पानी लगता है इस पानी से करीब 10 बीधा भूमि पर बाडी काश्त की जाती है यही जमीन कस्बा के नजदीक है तथा बाडी काश्त के काम आती है जो रसीद कुम्हार को 50 हजार रूपये पर ठेके पर दी हुई थी प्रार्थीगण इस अच्छी किस्म की भूमि को हडप करना चाहते है तथा रसीद कुम्हार से मिलकर ठेका राशी हडप करना चाहते है जबकि वाद भूमि सयुक्त खाते की भूमि है सायलान की कौनसी भूमि है और कौनसी भूमि काश्त करना चाहते है यह प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का वेग है।

प्रार्थी आमीन अपने सब भाईयों में अकेला मौजुद है तथा अन्य सभी भाई फोत हो चुके है अन्य भाईयों के वारिस मौजुद है इसलिये आमीन प्रार्थी के भाईयों के वारिसान अच्छी किस्म की भूमि हडप करना चाहते है प्रार्थी ने यह बनावटी कार्यवाही की है। वादग्रस्त भूमि का आजतक बटवारा नही हुआ है इसलिये सहकाश्तकार के विरूद्व कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है को खारिज फरमाया जावे।

जबाब गैरसायलान पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 के खसरा न0 70 की 8.4860हैक्ट भूमि जिसमें सायलान व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है जिसमें सायल न0 1 अकेला 2.1215हैक्ट , एवं गैरसायल न0 1 अकेला 0. 2526हैक्ट , गैरसायल न0 2 ता 6 बहिब 1.7679हैक्ट गैरसायल न0 7 अकेला 0.8080हैक्ट , गैरसायल न0 8 ता 11 बहिब 1.4145हैक्ट , गैरसायल न0 12 अकेली 1/8 हिस्सा , सायल न0 2 व गैरसायल न0 13 ता 14 बहिब 14/24 हिस्सा , गैरसायल न0 15 ता 19 बहिबि 7/24 हिस्सा दर 2.1215हैक्ट के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है तथा वाद भूमि का वर्तमान में खाता मुश्तरका है सायलान ने वर्तमान में अपने हक हिस्सा की भूमि पर गायो/भैसों के लिये चारा काश्त कर रखा है परन्तु गैरसायलान के मन में लालच आ गया तथा हरा चारे की फसल को उखाडनें पर उतारू है एव सायलान के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है इसलिये सायलान वाद भूमि जो मुश्तरका दर्ज है का खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

सायलान ने अपने हक हिस्सा की भूमि को काफी सुधारा है जो ग्रांव के नजदीक आबादी के पास है गैरसायलान वाद भूमि को अकृषि में परिर्वतन करवाये बिना खूर्द बूर्द करना चाहते है और सायलान की भूमि पर कब्जा करना चाहते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवानें की अधिकारी है।

गैरसायलान 1 ता 11 ,13 ,14 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि सयुक्त खाता व सयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है विधि अनुसार सयुक्त खाते की भूमि पर किसी सह काश्तकार के विरूद्व निधेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

वादग्रस्त भूमि कस्वा नोहर के नजदीक है जिसमें कस्बा का गन्दा पानी लगता है इस पानी से करीब 10 बीधा भूमि पर बाडी काश्त की जाती है यही जमीन कस्बा के नजदीक है तथा बाडी काश्त के काम आती है जो रसीद कुम्हार को 50 हजार रूपये पर ठेके पर दी हुई थी प्रार्थीगण इस अच्छी किस्म की भूमि को हडप करना चाहते है तथा रसीद कुम्हार से मिलकर ठेका राशी हडप करना चाहते है जबकि वाद भूमि सयुक्त खाते

की भूमि है सायलान की कौनसी भूमि है और कौनसी भूमि काश्त करना चाहते है यह प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का वेग है।

प्रार्थी आमीन अपने सब भाईयों में अकेला मौजुद है तथा अन्य सभी भाई फोत हो चुके है अन्य भाईयों के वारिस मौजुद है इसलिये आमीन प्रार्थी के भाईयों के वारिसान अच्छी किस्म की भूमि हडप करना चाहते है प्रार्थी ने यह बनावटी कार्यवाही की है। वादग्रस्त भूमि का आजतक बटवारा नही हुआ है इसलिये सहकाश्तकार के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है को खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान गैरसायल सयुक्त खाता की भूमि किस प्रकार से पाने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 के खसरा न0 70 की 8.4860हैक्ट भूमि जिसमें सायल न0 1 अकेला 2.1215हैक्ट , एवं गैरसायल न0 1 अकेला 0.2526हैक्ट , गैरसायल न0 2 ता 6 बहिब 1.7679हैक्ट गैरसायल न0 7 अकेला 0.8080हैक्ट , गैरसायल न0 8 ता 11 बहिब 1.4145हैक्ट , गैरसायल न0 12 अकेली 1/8 हिस्सा , सायल न0 2 व गैरसायल न0 13 ता 14 बहिब 14/24 हिस्सा , गैरसायल न0 15 ता 19 बहिबि 7/24 हिस्सा दर 2.1215हैक्ट के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायलान एवं गैरसायलान मुश्तरका खाते में दर्ज है अर्थात सायलान एवं गैरसायलान दोनो की रिकार्डेड खातेदार दर्ज है सूविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनो पक्षों के पक्ष में सामन रूप से पाया जाता है।

सायल का कथन है कि गैरसायलान सायल के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहते है इसके विपरित गैरसायल का कथन है कि अच्छी किस्म की भूमि हडप करने के लिये प्रार्थना पत्र. पेश किया गया है। वादभूमि वर्तमान में मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमे प्रत्येक काश्तकार का हक हिस्सा दर्ज है जब तक खाता विभाजन नही हो जाता मुश्तरका खाते की भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हक हिस्सा माना जाता है किसी विशेष भू0 भाग पर कब्जा काश्त नही माना जा सकता है आपसी सहमति से भूमि का बटवारा किया जाकर काश्त की जा सकती है जिससे उसे किसी प्रकार के हक प्राप्त नही होते है।

यहाँ यह उल्लेखनिय है मुश्तरका खाते की भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि का बेचान नही हो सकता है मुश्तरका खातेदार केवल अपने हिस्से का ही बेचान करने का अधिकारी है

मुश्तरका खातेदार सायलान एवं गैरसायलान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि वह मुश्तरका खाते में किसी भी विशेष भू0 भाग का बेचान नही करे अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान कर सकते है।

सायलान एवं गैरसालयान का मुख्य विवाद वाद भूमि जिसमें बाडी काश्त की जा रही है का प्रतित होता है क्योकि वाद भूमि मुश्तरका खाते में है और बाडी की जमीन पर दोनो ही पक्ष अपना अपना हक साबित कर रहे है जबकि वाद भूमि अभी मुश्तरका है जिस पर अभी दोनो ही पक्ष का हक तय नही हुआ है। वाद भूमि पर सायलान एवं गैरसायलान के मध्य विवाद को समाप्त करने के लिये जब तक वाद भूमि का खाता विभाजन नही हो जाता है तब तक दोनो पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 01.07.2019 को जारी आदेश रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 254/235 के खसरा न0 70 की कुल 8.4860हैक्ट भूमि की खाता विभाजन होने तक दोनो पक्ष रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे उक्त भूमि में यदि खाला व रास्ता है तो उस पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा को ताफैसला कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)